

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद - लखनऊ।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2016-17/7718

दिनांक 3 / 12 / 2016

विषय- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2014-15/7629, दिनांक 28/10/2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2016-17/7199, दिनांक 17.11.2016 के माध्यम से PICU में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 4 सफाई कर्मियों की सेवायें माह नवम्बर 2016 के बाद नहीं लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। संविदा कर्मियों के वर्ष 2016-17 के मानदेय हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 की आर०ओ०पी० में अनुमोदित PICU के संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1- संविदा चिकित्सा अधिकारी- FMR Code A.8.1.5.7 पर पूर्व से कार्यरत 4 चिकित्सा अधिकारियों को रु० 41580/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं 1 चिकित्सा अधिकारी के रु० 39600/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2- संविदा स्टॉफ नर्स - FMR Code- A.8.1.1.2.g पर पूर्व से कार्यरत 5 स्टाफ नर्सों को रु० 19060/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी

3- वार्ड आया/सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) -FMR Code- A.8.1.11.f पर 4 वार्ड आया/4 सफाई कर्मियों को रु० 6400/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

Funds for Human Resource Pediatric Intensive Care unit (PICU) 2016-17													
SPM Hospital Lucknow	Medical officer					Staff Nurse				Ward Aaya /Sweeper		Total funds to be released to DHS (Amount Rs. In)	
	Old, MO @41580 per Month for 12 months	New, MO@39600 Per Month for 6 months	5% increment for Old MO for 12 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (4+5)	Old, SNs @18150/Month for 12 months	5% increment for Old SNs for 12 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium of Staff Nurse + 5% increment for (8+9)	No	4-Ward Aaya/4-Sweeper @ Rs. 6400 PM for 6 months		
	A.8.1.5.7					A.8.1.1.2.g				A.8.1.11.f			
	FMR Code	A.8.1.5.7					A.8.1.1.2.g				A.8.1.11.f		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
Total fund	4	1	99792	2233440	2333232	5	54450	1089000	1143450	8	307200	3783882	

मुख्य चिकित्सा अधिकारी यथा शीघ्र आवंटित धनराशि निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

PICU के संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चिकित्सालय के निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
5. प्रत्येक माह PICU से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,



(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/PICU/40/2016-17/

दिनांक / /2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)

महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०,
विशाल कॉम्प्लेक्स,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद - लखनऊ।

पत्र संख्या: एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2016-17/

दिनांक 3/12/2016

विषय- डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2014-15/7629, दिनांक 28/10/2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ में स्थापित Paediatric Intensive Care Unit (PICU) में संविदा पर कार्यरत मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि एवं दिशा निर्देश प्रेषित किये गये थे तथा इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस०पी०एम०यू०/CH/PICU/40/2016-17/7199, दिनांक 17.11.2016 के माध्यम से PICU में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० द्वारा आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये 4 सफाई कर्मियों की सेवायें माह नवम्बर 2016 के बाद नहीं लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। संविदा कर्मियों के वर्ष 2016-17 के मानदेय हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं।

वित्त पोषण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 की आर०ओ०पी० में अनुमोदित PICU के संविदा मानव संसाधन के मानदेय हेतु धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

1- संविदा चिकित्सा अधिकारी— FMR Code A.8.1.5.7 पर पूर्व से कार्यरत 4 चिकित्सा अधिकारियों को रू० 41580/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय देय होगा तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी एवं 1 चिकित्सा अधिकारी के रू० 39600/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

2- संविदा स्टॉफ नर्स — FMR Code- A.8.1.1.2.g पर पूर्व से कार्यरत 5 स्टाफ नर्सों को रू० 19060/- प्रतिमाह की दर से 12 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की वेतन वृद्धि दी जायेगी

3- वार्ड आया/सफाई कर्मी (आउट सोर्सिंग के माध्यम से) —FMR Code- A.8.1.11.f पर 4 वार्ड आया/4 सफाई कर्मियों को रू० 6400/- प्रतिमाह की दर से 6 माह के मानदेय हेतु नीचे दी गयी तालिकानुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है। मानदेय हेतु अवशेष धनराशि शीघ्र अवमुक्त की जायेगी।

Funds for Human Resource Pediatric Intensive Care unit (PICU) 2016-17												
SPM Hospital Lucknow	Medical officer					Staff Nurse				Ward Aaya /Sweeper		Total funds to be released to DHS (Amount Rs. In)
	Old, MO @41580 per Month for 12 months	New, MO@39600 Per Month for 6 months	5% increment for Old MO for 12 months	Total Honorarium of MO	Total Honorarium old & new of MO + 5% increment for old MO (4+5)	Old, SNs @18150/Month for 12 months	5% increment for Old SNs for 12 months	Total Honorarium of Staff Nurse	Total Honorarium of Staff Nurse + 5% increment for (8+9)	No	4-Ward Aaya/4-Sweeper @ Rs. 6400 PM for 6 months	
	A.8.1.5.7					A.8.1.1.2.g				A.8.1.11.f		
	FMR Code	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Total fund	4	1	99792	2233440	2333232	5	54450	1089000	1143450	8	307200	3783882

मुख्य चिकित्सा अधिकारी यथा शीघ्र आवंटित धनराशि निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को अवमुक्त करना सुनिश्चित करें।

PICU के संविदा कर्मियों को किसी अन्य स्थान पर कार्य करने के लिये न लगाया जाय। यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो चिकित्सालय के निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार होंगे।

नोट:-

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
2. जिन बिन्दुओं पर सी0ए0जी0 ने आपत्ति की है उनकी पुनरावृत्ति को शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया जायेगा। सी0ए0जी0 की रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाय।
4. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये जिला महिला चिकित्सालय के मुख्य/प्रमुख अधीक्षिका एवं सम्बन्धित लिपिक/द्वितीय संयुक्त हस्ताक्षरी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वयं भी आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करायें।
5. प्रत्येक माह PICU से मद वार व्यय विवरण प्राप्त किया जाये जिसे जिला लेखा प्रबन्धक के माध्यम से वित्त अनुभाग एस0पी0एम0यू0 तथा कार्यक्रम अधिकारी को ससमय प्रेषित किया जाये।
6. धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व, व्यय विवरण तथा मद वार अवशेष धनराशि की जानकारी कर ली जाय। यदि धनराशि Revalidate की गयी है, तो उसका समय से उपयोग करने के उपरान्त, माँग के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाय। यदि धनराशि Unspent के रूप में है तो धनराशि को समायोजित करके इस वर्ष दी जा रही धनराशि की सीमा तक अवमुक्त की जाय।
7. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाईड लाइन्स फार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निदेशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
8. इस कार्यालय के पत्र संख्या-एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/2012-13/लेखा/पी0एफ0एम0 एस0/187/96-2, दिनांक 08/04/2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि समस्त भुगतान पब्लिक फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट सिस्टम (PFMS) वेब पोर्टल से तैयार ई-पेमेन्ट प्रिन्ट एडवाइज के माध्यम से ही भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या: एस0पी0एम0यू0/CH/PICU/40/2016-17/7718-0

दिनांक 3/14/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद-लखनऊ।
6. संयुक्त निदेशक, आर0सी0एच0, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एवं प्रमुख अधीक्षक, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8. मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन0एच0एम0, लखनऊ।

(डा0 अनिल कुमार वर्मा)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य